न्यायालय तहसीलदार धौलपुर

तारीख हुक्म	प्रकरण संख्या 03/2023 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 183 बी सरकार बनाम रतनसिंह पुत्र दौजी जाति जाटव निवासी विश्नौदा तहसील व जिला धौलपुर	
	निर्णय	
02.08.2023	आज पत्रावली पेश हुई। सूक्ष्म में मामला इस प्रकार है कि दिनांक 05.05.2023 को बांके ग्राम विश्नौदा में आयोजित महंगाई रात कैम्प में प्रशासन गांवों के संग अभियान में प्रार्थी रमुजी पुत्र श्री दौजीराम जाति जाटव निवासी ग्राम विश्नौदा तहसील व जिला धौलपुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उनके खसरा नं0 2531/1653 पर श्री रतनसिंह पुत्र मोदी जाति जाटव निवासी विश्नौदा द्वारा कब्जा कर रखा है। जिसकी जांच भू0 अभि0 निरीक्षक सरानीखेड़ा व पटवारी हल्का विश्नोदा से कराई गई। मुताबिक रिपोर्ट आराजी खसरा नम्बर 2531/163 रकवा 0.1644 हैक्टेयर बांके ग्राम विश्नौदा जमावन्दी सम्वत 2076—79 में 1. दिनेश पुत्र जगदीश प्रसाद हि0 1/28 जाति जाटव सा0 देह 2. पूजा पुत्री जगदीश प्रसाद हि0 1/28 जाति जाटव 3. मछला पुत्री दौजी हि0 1/4 जाति जाटव 4. मनीषा पुत्री जगदीश प्रसाद हि0 1/28 जाति जाटव 5. रमुजी पुत्र दौजी हि0 1/4 जाति जाटव 6. रेशम सिंह पुत्र जगदीश प्रसाद हि0 1/28 जाति जाटव 7. राजवती पुत्र जगदीश प्रसाद हि0 1/28 जाति जाटव 8. सुन्दरसिंह पुत्र दौजी हि0 1/4 जाति जाटव 9. सीमा पुत्री जगदीश प्रसाद जाति जाटव 10. हरभेजी पत्नी जगदीश प्रसाद हि0 1/28 जाति जाटव निवासीगण विश्नौदा खातेदार दर्ज रिकार्ड है एवं मौके पर आराजी खसरा नम्बर 2531/1653 रकवा 0.1644 हैक्टेयर में खातेदार रमुजी बगैरा लगभग आधे हिस्सा 0.0822 हैक्टेयर काबिज काश्त है एवं शेष आधे हिस्से लगभग 0.0822 हैक्टेयर पर अप्रार्थी रतनसिंह पुत्र मोदी द्वारा कब्जा कर काश्त कर रहा है। दिनांक 05.05.2023 को कैम्प कोर्ट में श्री रतनसिंह पुत्र मोदी जाति जाटव निवासी विश्नौदा तहसील व जिला धौलपुर को कब्जे के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने बावत जारी किया गया परन्तु कोई सबूत/साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। दिनांक 26.06.2023 को रिपोर्ट पटवारी हल्का विश्नौदा के आधार पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को पुनः नोटिस जारी कर दिनांक 06.07.2023 नियत की गई। नियत दिनांक को गैर सायल अनुपस्थित रहा। कोई साक्ष्य/जबाब प्रस्तुत नही किया।	

(तहसीलदार)
धौलपुर (राज0)

दिनांक 02.08.2023 को प्रार्थी व अन्य सहखातेदारो के बयान लिये गये। प्रार्थी रमुजी व सहखातेदार सुन्दरसिंह, रेशमसिंह, मनीषा कुमारी, दिनेश कुमार, सीमा द्वारा दिये गये बयानों में यह कथन किया गया उनके हिस्से की भूमि पर रतनसिंह पुत्र मोदी जाति जाटव निवासी विश्नौदा तहसील व जिला धौलपुर द्वारा कब्जा कर काश्त की जा रही है व उन्हे काश्त करने से रोकता है व लाठी डण्डे लेकर लडाई–झगडे के लिए तैयार रहता है।

सम्पूर्ण पत्रावली एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का विश्नौदा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व प्रार्थी एवं सहखातेदारों के बयानों का अवलोकन करने व मनन करने के पश्चात यह सिद्ध होता है कि एस.सी. वर्ग की भूमि पर प्रार्थी रमुजी पुत्र दौजीराम जाति जाटव निवासी विश्नौदा जोकि एस.सी. वर्ग के व्यक्ति है के आराजी खसरा नम्बर 2531/1653 रकवा 0.0822 पर गैर सायल रतनसिंह पुत्र मोदी जाति जाटव निवासी विश्नौदा का अवैध कब्जा है।

अतः आराजी खसरा नम्बर 2531/1653 रकवा 0.0822 हैक्टेयर ग्राम विश्नौदा की भूमि से गैरसायल को बेदखल किया जाकर प्रार्थी रमुजी पुत्र दौजीराम जाति जाटव निवासी विश्नौदा को कब्जा संभलवाये जाने के आदेश पारित किये जाते है। भूमि पर अवैध कब्जे का जुर्माना शास्ती भू–राजस्व 2.10 का 50 गुना 105 रूपये आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

02/8/23

(धर्मसिंह)
तहसीलदार
धौलपुर (राज0)

तहसीलदार
धौलपुर